समाहरणालय, मधेपुरा
(जिला शस्त्र शाखा)
-: आदेश :-

इस कार्यालय के ज्ञापांक 1835/श0, दिनांक 09-09-2013 के द्वारा मधेपुरा जिलान्तर्गत सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को अपने-अपने शस्त्र का भौतिक सत्यापन एवं बायोडाटा विहित प्रपत्र में समर्पित करने हेतु दिनांक 04.10.2013 एवं 05.10.2013 की तिथि निर्धारित करते हुए आम सूचना जारी की गयी थी। नैसर्गिक न्याय के तहत छूटे हुए अनुज्ञप्तिधारियों को अपने शस्त्र का भौतिक सत्यापन कराने हेतु पुनः 19-10-2013 की तिथि निर्धारित की गई थी। उसके वावजूद **श्री ब्रज भूषण, पिता- विनोधर प्रसाद सिंह, सा0+पो0-अर्राहा, थाना- धैलाढ़, जिला- मधेपुरा** द्वारा शस्त्र का भौतिक सत्यापन नहीं कराया गया एवं बायोडाटा समर्पित नहीं किया गया, जिस कारण इस कार्यालय के ज्ञापांक 128/श0, दिनांक 12.12.2013 के द्वारा शस्त्र नियमावली-1963 के नियम-63 एवं अनुज्ञप्ति की शर्त्त -9(ए) का उल्लंघन मानते हुए इनके नाम से निर्गत **एक नाली बन्दुक अनुज्ञप्ति सं0- एन0डी0पी0एस0 010335 (धैलाढ़ थाना)** को तत्कालिक प्रभाव से निलंबित करते हुए अनुज्ञप्तिधारी से स्पष्टीकरण पूछा गया था, परन्तु अनुज्ञप्तिधारी द्वारा स्पष्टीकरण अब तक समर्पित नहीं किया गया है और न ही अपना कोई पक्ष रखा गया है। स्पष्ट है कि अनुज्ञप्तिधारी अपना पक्ष रखने के प्रति उदासीन हैं। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि लोक सभा आम चुनाव-2014 के मद्देनजर रखते हुए इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 68/श0, दिनांक 03.03.2014 के द्वारा मधेपुरा जिलान्तर्गत सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को संबंधित थाना में उपस्थित होकर अपने शस्त्र का भौतिक सत्यापन दिनांक 14.03.14 एवं 15.03.14 को कराने हेतु आम सूचना जारी की गयी थी। अंचल अधिकारी, धैलाढ़ एवं थानाध्यक्ष, धैलाढ़ के प्रतिवेदन ज्ञापांक 229/14, दिनांक 18-03-2014 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा भौतिक सत्यापन कराया गया है, परन्तु पूछे गए स्पष्टीकरण का जवाव एवं बायोडाटा आज तक समर्पित नहीं किया गया है, जो अनुज्ञप्ति प्राधिकार के आदेश की अवहेलना के साथ-साथ अनुज्ञप्तिधारी के मनमानेपन एवं अनुज्ञप्ति की शर्त्त का उल्लंघन है।

अतएव शस्त्र अधिनियम-1959 की धारा-17 एवं शस्त्र अनुज्ञप्ति की शर्त्त-9(ए) का उल्लंघन मानते हुए **श्री ब्रज भूषण, पिता- विनोधर प्रसाद सिंह, सा0+पो0-अर्राहा, थाना- धैलाढ़, जिला- मधेपुरा** के नाम से निर्गत एक नाली बन्दुक की अनुज्ञप्ति सं0- एन0डी0पी0एस0 010335 (धैलाढ़ थाना) को रद्द किया जाता है तथा अनुज्ञप्तिधारी को आदेश दिया जाता है कि वे अपना दो नाली बन्दूक सं0 61969 को धैलाढ़ थाना अथवा बिहार गन हाउस, मधेपुरा में तथा मूल अनुज्ञप्ति पुस्त पत्र प्राप्ति के 24 घंटे के अन्दर जिला शस्त्र शाखा, मधेपुरा में जमा करना सुनिश्चित करेंगे।

जिला शस्त्र दंडाधिकारी, मधेपुरा को निदेश दिया जाता है कि वे अनुज्ञप्तिधारी द्वारा मूल अनुज्ञप्ति पुस्त जमा करने पर कार्यालय में संधारित अनुज्ञप्ति पंजी एवं अनुज्ञप्ति पुस्त में "रद्द" प्रवृष्टि करवा कर हस्ताक्षर कर देंगे।

इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाय।

ह0/-

जिला दंडाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक 239 /विधि, मधेपुरा, दिनांक 29.4.14

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा/ जिला सूचना अधिकारी, मधेपुरा/ थानाध्यक्ष, धैलाढ़/ मेसर्स बिहार गन हाउस, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : **श्री ब्रज भूषण, पिता- विनोधर प्रसाद सिंह, सा0+पो0-अर्राहा, थाना- धैलाढ़, जिला- मधेपुरा** को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

29/04/14

जिला दंडाधिकारी,
मधेपुरा।